

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर

उपखण्ड  
किस्म मुकदमा  
दिनांक

बैबरी देवी  
वाद-पत्र

बनाम कुल्हाराम  
मुकदमा नं 88 वर्ष 2020  
आज्ञा पत्र

28.07.2020

पत्रावली पेश हुई। वादी की ओर से अधिवक्ता श्री झाबरमल रॉयल ने न्यायालय हाजा के समक्ष उपस्थित होकर वाद-पत्र प्रस्तुत किया गया। कार्यालय रिपोर्ट प्राप्त की गई। वाद-पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये सनन से तलब किया जाकर, पत्रावली आता पेशी दिनांक 28.08.2020 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी सीकर

31-8-20

अधिकारी दीनप्रताप  
पत्रावली पेश हुई / कौन सी / पत्रावली अधिवक्ता  
वादीगण अधिवक्ता द्वारा / जज को पेश हो।

पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक  
को पेश हो। 27-10-20

27-10-20

पत्रावली पेश हुई / कौन सी / पत्रावली अधिवक्ता  
वादीगण अधिवक्ता द्वारा / जज को पेश हो।

पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक  
को पेश हो। 28-12-20

28-12-20

पत्रावली पेश हुई / कौन सी / पत्रावली अधिवक्ता  
वादीगण अधिवक्ता द्वारा / जज को पेश हो।

पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक  
को पेश हो। 25-2-21

25-2-21

पत्रावली पेश हुई / कौन सी / पत्रावली अधिवक्ता  
वादीगण अधिवक्ता द्वारा / जज को पेश हो।

पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक  
को पेश हो। 8-6-21

9-6-21


पत्रावली पेश हुई। आज अनिश्चितता ने कार्य स्थगित कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक.....को पेश हो।

15-6-21

पत्रावली मिसाल तलब के आदेश पर आज पेश हुई वादिका जज के समक्ष उपस्थित। आदेश प्रस्तुत कर वाद आगे नहीं चलाने का निर्देश किया। आज वाद वादिका स्वयं वादिका के अनुरोध स्वयं वादिका के पक्षान पर 2 वादिका किया जा रहा है परंतु जेहात शुकात नकर ले जाय है/ दायित्व नकर है। कौन सी आज पेशे हस्ताक्षर ले लुकाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सीकर

अधिकारी  
दिनांक  
दिनांक  
(दिनांक)



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय, सीकर

आवेदन संख्या-77/2020

भंवरी देवी आदि

बनाम

कुल्डाराम आदि

आवेदन बाबत पक्षकारान के मध्य राजीनामा होने  
के कारण आवेदन चलाना नहीं चाहने।

महोदय,

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना-पत्र निम्न प्रकार सादर प्रस्तुत है:-

यह कि उक्त उनवानी प्रकरण में पक्षकारान के मध्य लोक अदालत की पवित्र भावना से राजीनामा हो चुका है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य कुछ गलतफहमी हो जाने के कारण प्रार्थीगण द्वारा हस्तगत वाद/आवेदन प्रस्तुत कर दिया गया था जो अब पक्षकारगण के मध्य गलतफहमियां दूर हो गयी है इसलिए प्रार्थीगण वाद/आवेदन आगे चलाना नहीं चाहते है इसलिए आवेदन प्रार्थीगण इसी स्तर पर आज ही निर्णित/खारिज किये जाने की आज्ञा फरमायी जाना न्यायोचित होगा।

अतः प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि आवेदन प्रार्थीगण आज ही खारिज किये जाने की आज्ञा फरमायी जावें।

दिनांक: 15-06-2021

प्रार्थीगण/वादीगण

1-भंवरी देवी पत्नी श्री जीवनराम  
उम्र 47 वर्ष

जबिये नाबालिग बाबूलाल पुत्र रामेश्वर उम्र २०

वर्ष <sup>जन्म</sup> १९९९ भंवरी देवी

जाति गुर्जर निवासीगण भरगडो की  
ढाणी, पुरोहित का बास, तहसील व

जिला सीकर (राजस्थान)